झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक अपील(खंडपीठ) सं० 1159/2022

मंगल मुंडा, उम्र लगभग 24 वर्ष, पिता - एतो मुंडा ,
निवासी ग्राम-चिपीबंदाडीह (जिलिंगपीरी, डाकघर+थाना -
तमाड़, जिला-रांची (झारखंड)। ..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से यूनियन ऑफ़ इंडिया .....**प्रतिवादी**

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद
माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय

अपीलकर्ता के लिए: श्री बीरेंद्र कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए : श्री अमित कुमार दास, अधिवक्ता

<u>आर्डर संख्या 08 : दिनांक 12 मार्च 2024</u>
<u>न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद</u>
<u>आई०ए० संख्या - 1487/2024</u>

1. तत्काल आवेदन माफ़ी के लिए दायर किया गया है अपील 10 दिनों की देरी के तहत दायर किया है हालाँकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की धारा 21(5) के तहत नहीं बल्कि लिमिटेशन एक्ट के धारा 5 के तहत किया है।
2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उक्त अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया गया क्यूंकि असावधानी को लेकर तत्काल आवेदन दाखिल करने से पहले एक अन्तरवर्ती आवेदन आई०ए० संख्या 10052/2022 के तहत दायर किया गया था, इसलिए उक्त प्रस्तुत इंस्टेंट अन्तरवर्ती आवेदन को जारी नहीं किया जा रहा है।
3. उपरोक्त निवेदन पर विचार करते हुए, तत्काल अंतर्वर्ती आवेदन जारी नहीं करने के कारण खारिज किया जाता है।

<u>आई०ए० संख्या 10052/2022</u>

4. शुरू में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय से आवश्यक सुधार करने के लिए अनुमति मांगी, कानून के प्रावधान में जिसके तहत तत्काल आवेदन को लिमिटेशन एक्ट ' धारा '5' से हटाकर उसके स्थान पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के धारा '21(5) के आधार पर दायर किया गया।
5. प्रार्थना के स्वरूप पर विचार करते हुए उसके द्वारा किये गए आवशयक सुधार को तत्काल अंतर्वर्ती अनुप्रयोग के तहत किया जाए।
6. यह तत्काल आवेदन 10 दिन की देरी से माफ़ी की अपील के लिए दायर किया गया है।
7. उभयपक्षों के विद्वान वकील को सुना ।
8. आवेदन में दिये गये कारण को ध्यान में रखते हुए, अपील दाखिल करने में हुआ विलंब माफ किया जाता है।
9. तदनुसार, आई०ए० संख्या_10052/2022 को निस्तारित किया जाता है।

<u>आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या - 1159/2022</u>

10. तत्काल अपील राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21(4) के तहत की गई जो कि निर्देशित है एजेसी-XVI कम-स्पेशल न्यायाधीश, एन.आई.ए, रांची द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 आपराधिक विविध आवेदन संख्या 1544/2022, (स्पेशल(एन.आई.ए) केस नंबर 02/2021) के विरुद्ध जो कि आर.सी संख्या 02/2021/एन.आई.ए/आर.एन.सी के अनुरूप है उससे टोकलो थाना अपराध हेतु कांड संख्या 09/2021 पर ध्यान केंद्रित हुआ जो कि दर्ज किया गया भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) की धारा 147, 148, 149, 120बी, 121/121ए, 307, 302,333 और 353 के तहत,एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सी.एल.ए अधिनियम 1908 की धारा 17, और धारा 16, 20, 38 के तहत गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम,1967 की धारा 16, 20, 38 और 39 के तहत अपीलकर्ता की नियमित जमानत की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया है।

<u>अभियोजन पक्ष का मामला और तथ्य</u>

11.अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य परिणाम स्वरूप इस आपराधिक अपील की ओर ले जाती है जिसमे कि पुलिस अधीक्षक चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम को विभिन्न स्रोत से अनल दा @ तूफान दा @ पत्रीराम मांझी और महाराज प्रमाणिक @ राज प्रमाणिक, दोनों वरिष्ठ कार्यकर्ता केंद्रीय समिति सीपीआई माओवादी के आंदोलन के संबंध में जानकारी मिली। जो कि उनके सामह के अन्य कैडरों के साथ लांजी पर्वत के पहाड़ी इलाके में घूम रहे थे जो कि टोकलो पुलिस स्टेशन, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है और उस इलाके में किसी बड़ी घटना और विकास कार्य में बाधा डालने की योजना को अंजाम देने वाले हैं । तदनुसार पुलिस अधीक्षक, चाईबासा के निर्देश पर एवं वरीय अधिकारियों का एक विशेष अभियान दरकदा (झरझरा) बेस कैंप से झारखंड जगुआर एजी-II और सी/197 सीआरपीएफ BN की टुकड़ियां द्वारा लॉन्च किया गया था |

12.आगे आरोप लगाया गया है कि जब मुखबिर खोजी दलों के साथ लांजी पहाड़ी की ढलान के पास पहुंचा, तो झारखंड जगुआर एजी-II के जवान आगे थे और ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे और सीआरपीएफ/197 बीएन के जवान झारखंड जगुआर एजी-II के पीछे चल रहे थे। अचानक, लगभग 8.30 बजे लांजी पहाड़ी के आधार से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर बाईं ओर से एक भारी विस्फोट हुआ। विस्फोट के जवाब में झारखंड जगुआर के कांस्टेबल विजय यादव द्वारा आत्मरक्षा के लिए पहाड़ी की ओर छह राउंड फायर किए गए, जब जवानों ने विस्फोट की आवाज सुनी तो ऑपरेशन टीम ने कुछ देर के लिए स्थिति संभाली।

13.इसी बीच झारखंड जगुआर के सेक्शन कमांडर ने वायरलेस सेट पर सूचना दी कि आई.ई.डी विस्फोट हुआ है और उनकी टीम के पांच जवान और सी.आर.पी.एफ का एक जवान घायल हो गया है, जिसमें से दो शहीद हो गए हैं और बाकी घायलों को मेडिका अस्पताल रांची पहुंचाया गया है। बाद में झारखंड के रांची स्थित मेडिका अस्पताल पहुंचने पर एक हेड कांस्टेबल भी शहीद हो गया।

14.तदनुसार, पुलिस उपनिरीक्षक रामदेव यादव द्वारा लिखित रिपोर्ट के आधार पर टोकलो थाना कांड संख्या 09/2021 के तहत भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) की धारा 147, 148, 149, 353, 120बी, 121, 121ए, 307, 302, 333 और

353, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4, सी.एल.ए अधिनियम 1908 की धारा 17 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (यूए(पी) अधिनियम 1967) की धारा 16, 20, 38 और 39 के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन यानी सीपीआई (माओवादी) के 20-25 अज्ञात सदस्यों के साथ 33 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

15. बाद में, अपराध की गंभीरता को देखते हुए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 20.03.2021 के आदेश के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए), रांची को टोकलो थाना केस संख्या 09/2021 की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया।

16. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, (आदेश संख्या F.No.11011/25/2021/एनआईए दिनांक 20.3.3021), एन.आई.ए, रांची ने उक्त मामले को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 120बी, 121, 121ए, 307, 302, 333 और 353, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4, सी.एल.ए की धारा 17 के तहत आरसी-02/2021/ एनआईए/ रांची दिनांक 24.03.2021 के रूप में पुनः पंजीकृत किया। अधिनियम 1908 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (यूए(पी) अधिनियम 1967) की धारा 16, 20, 38 और 39 के तहत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

17. सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जांच एजेंसी द्वारा केस डॉकट और केस प्रदर्श एन.आई.ए को हस्तांतरित कर दिए गए और तदनुसार एनआईए द्वारा जांच शुरू कर दी गई।

18. दिनांक 07.09.2021 को 19 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वर्तमान अपीलकर्ता को अभियुक्त संख्या 9 (ए-9) के रूप में स्थान दिया गया।

19. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त अपीलकर्ता ने नियमित जमानत के लिए एनआईए विशेष न्यायालय, रांची के समक्ष विविध दंड प्रक्रिया संहिता आवेदन संख्या 1544/2022 के तहत नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन उसे दिनांक 16.08.2022 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई है।

<u>अपीलकर्ता के विद्वान वकील का निवेदन</u>

20.अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित आधारों पर आरोपित आदेश का विरोध किया है:-

(i) एनआईए ने अपनी जांच के माध्यम से यह स्थापित नहीं किया है कि अपीलकर्ता द्वारा कौन सा आतंकवादी कृत्य किया गया था और इस प्रकार गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं कहा जा सकता है।

(ii) निचली अदालत यह समझने और विचार करने में विफल रही कि अपीलकर्ता का किसी चरमपंथी संगठन से कोई संबंध नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता को अधिनियम, 1967 के दायरे और दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

(iii)अपीलकर्ता कथित अपराध के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है और उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है और उसे घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसके अलावा अपीलकर्ता के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है।

(IV)अपीलकर्ता का नाम एफआईआर में आरोपी नहीं है और उसे केवल संदेह के आधार पर तत्काल मामले में आरोपी बनाया गया है और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसका इकबालिया बयान दर्ज किया गया, जिससे कुछ भी बरामद नहीं हुआ।

(v) वह 13.03.2021 से यानी लगभग 3 साल से तत्काल मामले में हिरासत में है और तत्काल मामला साक्ष्य के चरण में चल रहा है और इस तरह निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

(vi)भारत संघ बनाम के.ए. नजीब के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार (2021) 3 एससीसी 713 में रिपोर्ट की गई व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सर्वोपरि महत्व है, इसलिए हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह एक उपयुक्त मामला है जहां अपीलकर्ता न्यायिक हिरासत से रिहा होने का हकदार है।

21.अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने उपरोक्त आधार पर दलील दी है कि विद्वान अदालत को नियमित जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय मामले के उस पहलू पर विचार करना चाहिए था, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया, इसलिए विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

<u>प्रतिवादी के विद्वान वकील का निवेदन एन.आई.ए के लिए</u>

22.जबकि, दूसरी ओर, प्रतिवादी एन.आई.ए की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने निम्नलिखित आधारों पर आरोपित आदेशों का बचाव किया है:-

(i) आरोप-पत्र से यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलकर्ता ने प्रतिबंधित संगठन की सहायता के रूप में काम किया है, इसलिए यूए(पी) अधिनियम, 1967 के प्रावधान अपीलकर्ता के खिलाफ लागू होंगे।

(ii) जांच के दौरान यह सामने आया है कि वर्तमान अपीलकर्ता लोहे की पाइप खरीदता था और उसे सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों को आपूर्ति करता था, जिसका उपयोग ऊपर की गई चर्चा के अनुसार आईईडी विस्फोट सामग्री के रूप में किया गया है।

(iii) जांच के दौरान सामने आई सामग्री के आधार पर, यह स्थापित होता है कि वर्तमान अपीलकर्ता सीपीआई माओवादी के सशस्त्र कैडरों के सहयोग और निर्देशन में रची गई बड़ी साजिश का हिस्सा था और उसके द्वारा आपूर्ति की गई लोहे की पाइप का उपयोग करके, माओवादियों ने लांजी जंगल में आईईडी विस्फोट किया, जिसके परिणामस्वरूप तीन पुलिस कर्मियों की मौत हो गई और कुछ अन्य पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आईं।

(IV)इसके अलावा यूए(पी) अधिनियम की धारा 43डी(5) के तहत निर्धारित प्रावधान अभियुक्तों की रिहाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है और अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।

(v) इस मामले में अपीलकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें संज्ञान लिया गया है और अब आरोप तय होने के बाद अभियोजन साक्ष्य के लिए केस रिकॉर्ड चल रहा है। इसलिए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए जो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के खिलाफ है, अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित मामला नहीं है।

(vi) भारत संघ बनाम के.ए. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपात पर भरोसा किया गया। नजीब (सुप्रा) का आदेश तत्काल मामले में लागू नहीं होता,

क्योंकि उक्त मामले में अपराध की प्रकृति और पृष्ठभूमि भिन्न थी।

23. प्रतिवादी-एन.आई.ए के विद्वान वकील श्री दास ने उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत किया है कि चूंकि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति बहुत गंभीर है और समान आरोपी व्यक्तियों अर्थात् सोरतो महाली @ डॉन, रामराय हसदा, जैकी पराधी @ जैकी और सुली कंदीर @ सुलेमान कंदीर की जमानत पहले ही आपराधिक अपील(खंडपीठ)संख्या-399/2022, 1141/2023 और 990/2023 में पारित क्रमशः दिनांक 18.01.2023, 10.01.2024 और 11.01.2024 के आदेश के तहत खारिज कर दी गई है, इसलिए वर्तमान अपील भी खारिज किए जाने योग्य है।

<u>विश्लेषण</u>

24. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा आरोपित आदेश में विद्वान न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष तथा आरोप-पत्र पर विचार किया है।

25. यह न्यायालय, यह जांच करने से पहले कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सक्षम है या नहीं, कानून के कुछ स्थापित प्रस्ताव और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (जिसे आगे अधिनियम, 1967 के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रासंगिक प्रावधानों पर चर्चा करना उचित और उचित समझता है।

26. अधिनियम 1967 का मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियाँ उपलब्ध कराना है। प्रस्तावना के अनुसार, अधिनियम 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उनसे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। इसलिए, यूए(पी) को अधिनियमित करने का उद्देश्य और उद्देश्य कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम प्रदान करना भी है।

27. कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के उक्त उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद ने अपने विवेक से यह प्रावधान किया है कि जहां किसी संघ/ग्रुप को धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया जाता है, वहां कोई व्यक्ति, जो ऐसे संघ/ग्रुप का सदस्य है और बना

रहता है, उसे 2 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

28. 1967 के अधिनियम की धारा 2 का खंड (एम) "आतंकवादी संगठन" को परिभाषित करता है। इसे प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है। सीपीआई (माओवादी) को प्रथम अनुसूची में मद संख्या 34 पर सूचीबद्ध किया गया है। 1967 के अधिनियम के अध्याय III से लेकर आगे तक विभिन्न अपराधों को शामिल किया गया है। अध्याय IV का शीर्षक "आतंकवादी कृत्य के लिए दंड" है। धारा 2 का खंड (के) यह प्रावधान करता है कि "आतंकवादी कृत्य" का अर्थ धारा 15 के तहत दिया गया है और आतंकवादी कृत्य में ऐसा कृत्य शामिल है जो द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी संधि के दायरे में और उसके अनुसार परिभाषित अपराध का गठन करता है।

29. इसके अलावा, अधिनियम 1967 की धारा 10(ए)(आई) में यह प्रावधान है कि जहां किसी संघ को धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी घोषित किया जाता है, जो उस धारा की उपधारा (3) के तहत प्रभावी हो गई है, कोई व्यक्ति जो ऐसे संघ का सदस्य बना रहता है, उसे दो साल तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है और इसके लिए जुर्माना भी देना होगा, जब तक कि धारा 10(ए)(आई) लागू रहती है, कोई व्यक्ति जो ऐसे संघ का सदस्य है या बना रहता है, दंडित किया जा सकता है।

30. अधिनियम 1967 की धारा 13 के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति किसी गैरकानूनी गतिविधि में भाग लेता है, उसे अंजाम देता है, या वकालत करता है, उकसाता है, सलाह देता है या उकसाता है, उसे सात साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

31. इस समय अधिनियम 1967 की धारा 43(डी)(5) के मूल पर चर्चा करना उद्देश्यपूर्ण होगा, जिसके अनुसार यदि न्यायालय की यह राय है कि लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य मानने के लिए उचित आधार हैं, तो अपीलकर्ता पर यूए(पी) अधिनियम, 1967 की धारा 17, 18 और 21 के तहत अपराध करने का आरोप है, तो व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा।

32. यूए(पी) अधिनियम, 1967 की धारा 43डी(5) के तहत नियमित जमानत देने के मामले में निर्धारित आवश्यकता **राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह**

वटाली [(2019) 5 एसएससी 1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आई, जिसमें पैराग्राफ 23 में अधिनियम, 1967 की धारा 43डी(5) के तहत निर्धारित अभिव्यक्ति "प्रथम दृष्टया सत्य" की व्याख्या करके यह माना गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में संबंधित अभियुक्त के खिलाफ आरोप के संदर्भ में जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री/साक्ष्य तब तक मान्य होंगे जब तक कि अन्य साक्ष्यों द्वारा उनका खंडन और खंडन नहीं किया जाता है और प्रथम दृष्टया, उक्त अपराध के कमीशन में ऐसे अभियुक्त की मिलीभगत नहीं दिखती है। यह भी देखा गया है कि किसी दिए गए तथ्य या तथ्यों की श्रृंखला को स्थापित करने के लिए यह अपने आप में अच्छा और पर्याप्त होना चाहिए, जब तक कि इसका खंडन या खंडन न किया जाए। संतुष्टि की डिग्री तब कम होती है जब न्यायालय को यह राय देनी होती है कि आरोप "प्रथम दृष्टया सत्य" है, अन्य विशेष अधिनियमों के तहत अभियुक्त की राय "दोषी नहीं" होने की तुलना में। त्वरित संदर्भ के लिए, उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 23 को उद्धृत करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है: -

> "23. उपधारा (5) के प्रावधान के अनुसार, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है या अन्यथा। हमारा ध्यान इस न्यायालय के निर्णयों की ओर आकर्षित किया गया, जिसके पास टाडा, और मकोका में इसी तरह के विशेष प्रावधानों से निपटने का अवसर था। उन निर्णयों में अंतर्निहित सिद्धांत 1967 अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय भी कुछ असर डाल सकते हैं। विशेष रूप से, टाडा, मकोका और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 जैसे विशेष अधिनियमों के तहत, न्यायालय को अपनी राय दर्ज करने की आवश्यकता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त कथित अपराध का "दोषी नहीं" है। न्यायालय द्वारा दर्ज की जाने वाली संतुष्टि कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का "दोषी नहीं" है और 1967 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दर्ज की जाने वाली संतुष्टि कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप "प्रथम दृष्टया" सत्य है, के बीच एक हद तक अंतर है। अपनी प्रकृति से, अभिव्यक्ति "प्रथम दृष्टया सत्य" का अर्थ होगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में संबंधित अभियुक्त के खिलाफ आरोप के संदर्भ में जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री/साक्ष्य, तब तक मान्य होना चाहिए जब तक कि अन्य साक्ष्य द्वारा उसका खंडन और उसे दूर या अस्वीकृत न कर दिया जाए, और प्रथम दृष्टया,

> उक्त अपराध के कमीशन में ऐसे अभियुक्त की मिलीभगत को दर्शाता है। यह किसी दिए गए तथ्य या तथ्यों की श्रृंखला को स्थापित करने के लिए पर्याप्त और अच्छा होना चाहिए, जब तक कि इसका खंडन या खंडन न किया जाए। एक अर्थ में, संतुष्टि की डिग्री तब हल्की होती है जब न्यायालय को यह राय देनी होती है कि आरोप "प्रथम दृष्टया सत्य" है, जबकि अन्य विशेष अधिनियमों के तहत आरोपी की राय "दोषी नहीं" है। किसी भी मामले में, न्यायालय द्वारा यह राय देने के लिए दर्ज की जाने वाली संतुष्टि की डिग्री कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है, 1967 अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में डिस्चार्ज आवेदन पर विचार करने या आरोप तय करने के लिए दर्ज की जाने वाली संतुष्टि की डिग्री से हल्की है…"

33. इस प्रकार, **राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रस्ताव से यह स्पष्ट है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री की जांच करके स्वयं को संतुष्ट करे कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

34. इसके अलावा, कानून का यह स्थापित प्रस्ताव है कि जमानत देने या न देने के चरण में, न्यायालय से केवल आरोपी की उक्त अपराध में संलिप्तता या अन्यथा के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करने की अपेक्षा की जाती है और इस चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच या विच्छेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

35. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली** (सुप्रा) के उसी मामले में कानून का प्रतिपादन करते हुए यह टिप्पणी की है कि इस चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच या विच्छेदन करने की आवश्यकता नहीं है और न्यायालय से केवल यह अपेक्षा की जाती है कि वह अभियुक्त के कथित अपराध में शामिल होने या अन्यथा के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करे। त्वरित संदर्भ के लिए उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 24 और 25 को यहां उद्धृत किया जा रहा है:-

> **"24.** इस चरण में न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही - जमानत देने या न देने के लिए कारण बताना - साक्ष्य के गुण या दोष पर चर्चा करने से बिल्कुल अलग है। इस चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच या विच्छेदन करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय से केवल यह अपेक्षा की जाती है कि वह

> अभियुक्त की उक्त अपराध में संलिप्तता या अन्यथा के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करे।
>
> **"25.** विवादित निर्णय के विश्लेषण से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के गुण-दोष की जांच करने का प्रयास किया है। क्योंकि, इसने पाया कि धारा 161 के तहत गवाहों के बयानों के रूप में साक्ष्य स्वीकार्य नहीं हैं। इसके अलावा, जांच एजेंसी द्वारा सेवा में लगाए गए दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं थे। इसने यह भी पाया कि यह संभावना नहीं है कि 16-8-2017 तक गुलाम मोहम्मद भट्ट के निवास से दस्तावेज बरामद किए गए थे (आलोचित निर्णय का पैरा 61)। इसी तरह, उच्च न्यायालय द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए संरक्षित गवाहों के बयानों को पूरी तरह से खारिज करने का दृष्टिकोण, इस दिखावटी आधार पर कि उन्हें एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था और नामित न्यायालय द्वारा उनका अवलोकन भी नहीं किया गया था और साथ ही क्योंकि ऐसे बयानों को दर्ज किए जाने का संदर्भ प्रतिवादी के खिलाफ पहले से दायर आरोप-पत्र में नहीं पाया गया था, हमारी राय में, न्यायालय के इस कर्तव्य की पूरी तरह से अवहेलना है कि वह अपनी राय दर्ज करे कि संबंधित अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं या नहीं। न्यायालय को यह राय न केवल एफआईआर में आरोप के संदर्भ में बल्कि केस डायरी की सामग्री और आरोप-पत्र (धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट) और जांच के दौरान जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई अन्य सामग्री के संदर्भ में भी बनानी चाहिए।"

36. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जमानत देने के इस चरण में न्यायालय द्वारा जमानत देने या न देने के कारण बताने का कार्य साक्ष्य के गुण या दोष पर चर्चा करने से बिल्कुल अलग है। इस चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच या विच्छेदन करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि, न्यायालय से केवल यह अपेक्षा की जाती है कि वह अभियुक्त के कथित अपराध में शामिल होने या अन्यथा के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करे।

37. इसके अलावा न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अपनी राय दर्ज करे कि संबंधित अभियुक्त के खिलाफ लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है या नहीं और न्यायालय को ऐसी राय न केवल एफआईआर में लगाए गए आरोप के संदर्भ में बल्कि केस डायरी की सामग्री और चार्जशीट (सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट) और जांच के दौरान जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई अन्य सामग्री के संदर्भ में भी बनानी चाहिए। इस संबंध में संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य**

के मामले में (2005) 5 एससीसी 294 में दिए गए निर्णय से लिया जा सकता है। तत्पर संदर्भ के लिए उपरोक्त निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफ को यहां उद्धृत किया जा रहा है:-

> **"46. इस चरण में न्यायालय का कर्तव्य साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना नहीं है, बल्कि व्यापक संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष पर पहुँचता है।** हालांकि, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (4) में निहित प्रावधानों के संबंध में मकोका जैसे विशेष कानून से निपटने के दौरान, न्यायालय को मामले की गहराई से जांच करनी पड़ सकती है ताकि वह इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि जांच के दौरान अभियुक्तों के खिलाफ एकत्र की गई सामग्री दोषसिद्धि के फैसले को उचित नहीं ठहरा सकती है। जमानत देने या अस्वीकार करने के दौरान न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष निस्संदेह प्रकृति में अस्थायी होंगे, जिनका मामले की योग्यता पर कोई असर नहीं हो सकता है और इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ट्रायल में पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए स्वतंत्र होगा, बिना किसी तरह से पूर्वाग्रह के"

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 109** में दिए गए एक फैसले में **राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली** (सुप्रा) और **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब** (सुप्रा) में दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए यह पाया है कि धारा 43डी की उपधारा (5) के प्रावधान के तहत विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और यह निर्धारित किया गया है कि यदि न्यायालय, केस डायरी या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत बनाई गई रिपोर्ट के अवलोकन के बाद यह मानता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ यूएपी अधिनियम के अध्याय IV और/या अध्याय VI के तहत अपराध या अपराध करने के संबंध में आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है, तो ऐसे आरोपी व्यक्ति को जमानत या अपने बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा।

39. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सामान्य दंडात्मक अपराधों के संबंध में जमानत न्यायशास्त्र में पारंपरिक विचार कि न्यायालयों का विवेक अक्सर उद्धृत वाक्यांश के पक्ष में झुकना चाहिए - 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' - जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा उचित न हों - यूएपी अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों से निपटने में कोई स्थान नहीं पाता है

और यूएपी अधिनियम के तहत जमानत देने की सामान्य शक्ति का 'प्रयोग' दायरे में गंभीर रूप से प्रतिबंधात्मक है।

40.उपर्युक्त संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि न्यायालयों पर एक संवेदनशील कार्य का बोझ है और यूए(पी) अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों से निपटने में न्यायालय केवल यह जांच कर रहे हैं कि क्या जमानत खारिज करने का औचित्य है और औचित्य की खोज केस डायरी और विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट से की जानी चाहिए।

41.उपर्युक्त पृष्ठभूमि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जमानत खारिज करने का परीक्षण बिल्कुल स्पष्ट है और यदि सरकारी वकील की सुनवाई के बाद और अंतिम रिपोर्ट या केस डायरी का अवलोकन करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य मानने के लिए उचित आधार हैं, तो जमानत को 'नियम' के रूप में खारिज किया जाना चाहिए। यह भी देखा गया है कि केवल तभी जब जमानत खारिज करने का परीक्षण संतुष्ट नहीं होता है - तब न्यायालय **'ट्राइपॉड परीक्षण' (उड़ान जोखिम, गवाहों को प्रभावित करना, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़)** के अनुसार जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगे।

42.त्वरित संदर्भ के लिए उपरोक्त निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफ उद्धृत किए जा रहे हैं:

> **"27.** धारा 43डी की उपधारा (5) को पढ़ने से पता चलता है कि इस तथ्य के अलावा कि उपधारा (5) विशेष न्यायालय को लोक अभियोजक को जमानत पर रिहा करने के आवेदन पर सुनवाई का अवसर दिए बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने से रोकती है, धारा 43डी की उपधारा (5) का प्रावधान विशेष न्यायालय की किसी अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की शक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। यह निर्धारित करता है कि यदि न्यायालय, 'केस डायरी या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत बनाई गई रिपोर्ट के अवलोकन पर' इस राय पर है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ यूएपी अधिनियम के अध्याय IV और/या अध्याय VI के तहत अपराध या अपराधों के संबंध में आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है, ऐसे आरोपी व्यक्ति को जमानत पर या अपने बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यूएपी अधिनियम की धारा 43डी(5) में पाए जाने वाले प्रावधान के समान कोई अन्य प्रावधान किसी अन्य कानून में नहीं है। इस अर्थ में, इसमें अपनाई गई जमानत सीमा की भाषा यूएपी अधिनियम

के लिए अद्वितीय बनी हुई है।

28. सामान्य दंडात्मक अपराधों के संबंध में जमानत न्यायशास्त्र में प्रचलित विचार कि न्यायालयों का विवेकाधिकार अक्सर उद्धृत वाक्यांश - 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' - के पक्ष में झुकना चाहिए - जब तक कि परिस्थितियाँ अन्यथा न्यायोचित न हों - यूएपी अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों से निपटने में कोई स्थान नहीं पाता है। यूएपी अधिनियम के तहत जमानत देने की सामान्य शक्ति का 'प्रयोग' दायरे में गंभीर रूप से प्रतिबंधात्मक है। धारा 43डी (5) के प्रावधान में प्रयुक्त शब्दों का रूप - 'रिहा नहीं किया जाएगा', धारा 437(1) सीआरपीसी में पाए जाने वाले शब्दों के रूप के विपरीत - 'रिहा किया जा सकता है' - जमानत को अपवाद और जेल को नियम बनाने के विधानमंडल के इरादे का सुझाव देता है।

29. इसलिए, न्यायालयों के हाथ में एक संवेदनशील कार्य का बोझ है। यूएपी अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों से निपटने में, अदालतें केवल यह जांच कर रही हैं कि क्या जमानत खारिज करने का कोई औचित्य है। 'औचित्य' को केस डायरी और विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट से खोजा जाना चाहिए। विधायिका ने संतुष्टि की डिग्री के उपाय के रूप में एक निम्न, 'प्रथम दृष्टया' मानक निर्धारित किया है, जिसे औचित्य [रिकॉर्ड पर सामग्री] की जांच करते समय अदालत द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। इस मानक की तुलना 'मजबूत संदेह' के मानक से की जा सकती है, जिसका उपयोग अदालतों द्वारा 'मुक्ति--' के लिए आवेदनों की सुनवाई करते समय किया जाता है।

43.इस आधार पर, जमानत खारिज करने का परीक्षण बिल्कुल स्पष्ट है। यदि सरकारी वकील की सुनवाई के बाद और अंतिम रिपोर्ट या केस डायरी का अवलोकन करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य मानने के लिए उचित आधार हैं, तो जमानत को 'नियम' के रूप में खारिज किया जाना चाहिए। केवल तभी जब जमानत खारिज करने के परीक्षण से संतुष्टि नहीं मिलती है, तो न्यायालय **'ट्राइपॉड टेस्ट' (भागने का जोखिम, गवाहों को प्रभावित करना, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़)** के अनुसार जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। यह स्थिति धारा 43डी की उपधारा (6) द्वारा स्पष्ट की गई है, जो यह निर्धारित करती है कि उपधारा (5) में निर्दिष्ट जमानत देने पर प्रतिबंध, दंड प्रक्रिया संहिता या जमानत देने पर वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रतिबंधों के अतिरिक्त हैं।

44.माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में धारा 43 डी (5) यूएपी अधिनियम के पाठ्य पढ़ने के बाद दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, जिन्हें **ट्विन**

<u>प्रोन्ग टेस्ट</u> के रूप में संक्षेपित किया गया है। तत्काल संदर्भ के लिए प्रासंगिक पैराग्राफ को नीचे उद्धृत किया जा रहा है: "

> **31.** धारा 43 डी (5) यूएपी अधिनियम के शाब्दिक अर्थ में, यूएपी अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों पर निर्णय लेते समय जमानत अदालत द्वारा की जाने वाली जांच को ट्विन-प्रोन्ग टेस्ट के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है:
>
> 1) क्या जमानत की अस्वीकृति के लिए परीक्षण संतुष्ट है?
>
> 1.1 जांच करें कि क्या प्रथम दृष्टया कथित 'आरोप' यूए(पी) अधिनियम के अध्याय IV या VI के तहत अपराध बनाते हैं
>
> 1.2 ऐसी जांच धारा 173 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत केस डायरी और अंतिम रिपोर्ट तक सीमित होनी चाहिए;
>
> 2) क्या अभियुक्त धारा 439 सीआरपीसी ('ट्राइपॉड टेस्ट) के तहत जमानत देने से संबंधित सामान्य सिद्धांतों के प्रकाश में जमानत पर रिहा होने का हकदार है?"

45. इसके अलावा, कानून का यह स्थापित प्रस्ताव है कि जमानत देने या न देने के चरण में, न्यायालय से केवल आरोपी की उक्त अपराध में संलिप्तता या अन्यथा के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करने की अपेक्षा की जाती है और इस चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच या विच्छेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

46. इसके अलावा, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अपनी राय दर्ज करे कि संबंधित अभियुक्त के खिलाफ लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है या नहीं और न्यायालय को ऐसी राय न केवल एफआईआर में लगाए गए आरोपों के संदर्भ में बल्कि आरोप-पत्र की विषय-वस्तु और जांच के दौरान जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई अन्य सामग्री के संदर्भ में भी बनानी चाहिए।

47. यह न्यायालय, कानून की उपरोक्त स्थिति और अपीलकर्ता के विरुद्ध एकत्रित तथ्यात्मक पहलू के आधार पर, जांच के दौरान एकत्रित सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह जांच करने जा रहा है कि क्या अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है, जबकि अभियुक्तों की राय में वे दोषी नहीं हैं।

48. प्रतिवादी द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 07.09.2021 का आरोप-पत्र अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न किया गया है।

49. जवाबी हलफनामे से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को तत्काल मामले में आरोपी (ए-9) के रूप में आरोप-पत्रित किया गया है।

50.जांच के बाद एन.आई.ए ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया और आरोप पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एन.आई.ए ने अपनी जांच में पाया कि सीपीआई (माओवादी) के कैडर ने अपीलकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई लोहे की पाइप की मदद से साजिश रची थी, जिसका उल्लेख आरोप पत्र के पैरा 17.5.2 और 17.14.03 में किया गया है। तत्काल संदर्भ के लिए उपरोक्त पैरा को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

> **17.5.2.** जांच के दौरान यह स्थापित हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी ए-7, आरोपी ए-11, ए-12 और ए-14 का सहयोगी था और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों को विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति करके मदद कर रहा था। यह भी स्थापित हुआ है कि आरोपी ए-9 फरार आरोपी ए-13 के निर्देशों पर काम कर रहा था और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस/आईईडी बनाने और सुरक्षा बलों के खिलाफ विध्वंसकारी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के लिए लोहे के पाइप की आपूर्ति भी कर रहा था।
>
> **17.14 जांच के दौरान स्थापित अपराध**
>
> **17.14.03: गिरफ्तार आरोपी मांग मुंडा (ए-9) के खिलाफ तत्काल अपराध में भूमिका और स्थापित अपराध:**
>
> यह स्थापित हो चुका है कि गिरफ्तार अभियुक्त भारत सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडर का सदस्य था। अभियुक्त ए-9 आईईडी में इस्तेमाल करने के लिए लोहे के पाइप की व्यवस्था करता था और सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों को इसकी आपूर्ति करता था। वह सरकार के खिलाफ सीपीआई (माओवादी) के कैडरों द्वारा रची गई आपराधिक साजिशों से भी जुड़ा था। यह स्थापित हो चुका है कि अभियुक्त ए-9 सीपीआई (माओवादी) के ए-13, ए-14, ए-32, ए-43 और अन्य कैडरों के संपर्क में था और उनके निर्देश पर वह लोहे के पाइप की आपूर्ति करता था, यह अच्छी तरह जानते हुए कि इन लोहे के पाइपों का इस्तेमाल वास्तव में आतंकवादी कृत्यों के लिए किया जाना था। सीपीआई (माओवादी) द्वारा सुरक्षा बलों के कर्मियों की हत्या करने और उनके हथियार लूटने और भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आईईडी बनाने के लिए लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए, पूर्व-पैरा में किए गए कथनों के अनुसार, यह स्थापित होता है कि आरोपी ए-9, प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) का ओवर ग्राउंड वर्कर/सदस्य बन गया और 04.03.2021 को लांजी फॉरेस्ट हिल में पुलिस गश्ती दल पर आतंकवादी हमला करने के लिए घातक हथियारों के साथ इकट्ठा होने के साझा इरादे से सह-आरोपियों के बीच रची गई साजिश में शामिल था।

आरोपी ए-9 ने लोहे के पाइपों की व्यवस्था और आपूर्ति की थी, जिसका उपयोग सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों द्वारा आईईडी बनाने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में लगाने के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार, गिरफ्तार आरोपी ए- ने यूए(पी) अधिनियम, 1967 की धारा 20, 38 और 39 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध किया है।"

51.इस प्रकार, आरोप-पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वर्तमान अपीलकर्ता (ए-9) लोहे के पाइपों की व्यवस्था करता था (आई.ई.डी में उनका उपयोग करने के लिए) और उन्हें सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों को आपूर्ति करता था और वह सरकार के खिलाफ सीपीआई (माओवादी) के कैडरों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से भी जुड़ा था। यह स्थापित हो चुका है कि अपीलकर्ता अनल दा (ए-13), महाराज प्रमाणिक (ए-14), अमित मुंडा और सीपीआई (माओवादी) के अन्य कैडरों के संपर्क में था और उनके निर्देश पर वह लोहे के पाइपों की आपूर्ति करता था, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि इन लोहे के पाइपों का वास्तव में आतंकवादी कृत्यों के लिए उपयोग किया जाना था। इन लोहे के पाइपों का उपयोग सीपीआई (माओवादी) द्वारा नियमित रूप से सुरक्षा बलों के कर्मियों की हत्या करने और भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने के लिए विभिन्न विघटनकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आई.ई.डी बनाने के लिए किया जा रहा है।

52.आरोप-पत्र के उपर्युक्त पैराग्राफ से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता भारत सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई माओवादी का करीबी सहयोगी था और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के आधार पर यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता सीपीआई माओवादी के सशस्त्र कैडरों के सहयोग और निर्देशन में रची गई आपराधिक साजिश का हिस्सा था।

53.आरोप-पत्र की विषय-वस्तु से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोजन योग्य साक्ष्य मौजूद हैं, जो आरोप-पत्र के दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं।

54.इसके अलावा, रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से पता था कि सीपीआई (माओवादी) एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है और राज्य भर में कई आतंकवादी कृत्यों में शामिल है। इस तरह की जानकारी होने के बावजूद, उसने उक्त आतंकवादी संगठन के साथ अपनी सांठगांठ जारी रखी

और उसने कानूनों का घोर उल्लंघन किया और नागरिकों और राज्य की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया।

55. इस प्रकार, आरोप पत्र के पैराग्राफों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने स्वयं को आतंकवादी संगठन सीपीआई (मॉइस्ट) के साथ संबद्ध किया है और उक्त संगठन को उसकी आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में स्वेच्छा से सहायता की है।

56. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हिरासत का आधार लिया है और **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की भी सहायता ली है।

57. उपरोक्त निर्णय का सहारा लेते हुए यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हिरासत की अवधि और सुनवाई में संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए यह एक उपयुक्त मामला है, जहां अपीलकर्ता को न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए।

58. जबकि, दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उपरोक्त तथ्य को गंभीरता से विवादित किया है, इस तथ्य के अलावा कि वर्तमान अपीलकर्ता का प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के साथ घनिष्ठ संबंध है।

59. यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, अर्थात **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गवाहों की बड़ी संख्या अर्थात 276 को ध्यान में रखते हुए, जांच एजेंसी द्वारा गवाहों की संख्या कम करने के लिए एक स्पष्ट प्रश्न रखा था और जब यह दिखाया गया कि ऐसा करना संभव नहीं है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए और निकट भविष्य में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं होने के कारण, प्रतिवादी अभियुक्त को जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है।

60. लेकिन इस मामले में अपीलकर्ता करीबी सहयोगी के रूप में नक्सली संगठन को प्रत्यक्ष सहायता देकर तथा लोहे की पाइप की आपूर्ति करता है, जिसका उपयोग

अंततः आईईडी विस्फोट करने के लिए किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 03 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा, प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन अधिकारी स्थिति के आधार पर गवाहों की संख्या भी कम कर देंगे तथा बिना किसी अनावश्यक देरी के मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ऐसे में उक्त तथ्य में अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिया गया निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

61. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य, केस डायरी, आरोप पत्र और एन.आई.ए द्वारा दर्ज अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के खिलाफ सीधा और गंभीर आरोप है कि प्रतिबंधित संगठन के सदस्य के साथ सांठगांठ में, वर्तमान अपीलकर्ता ने सीपीआई के सशस्त्र कैडरों को लोहे की पाइप की आपूर्ति की, जिन्होंने उक्त लोहे की पाइप का इस्तेमाल 04.3.2021 को आई.ई.डी विस्फोट में किया था, जब सशस्त्र सैनिक पीएस टोकलो के तहत लांजी वन पहाड़ियों की अग्रिम ढलान पर आगे बढ़ रहे थे, जिसमें तीन सुरक्षाकर्मी मारे गए और कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति का प्रतीत होता है और उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

62. जहां तक **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब** (सुप्रा) के निर्णय पर भरोसा करने के संबंध में तर्क का संबंध है, इस न्यायालय का विचार है कि तथ्यों और परिस्थितियों में उपरोक्त निर्णय यहां लागू नहीं होगा क्योंकि उक्त मामले में कुल मिलाकर 276 आरोप-पत्रित गवाहों की जांच की जानी थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न पर, जांच एजेंसी ने प्रस्तुत किया है कि आरोप-पत्रित गवाहों की संख्या कम करने का कोई सवाल ही नहीं है और इसके मद्देनजर और हिरासत की अवधि, यानी साढ़े 5 साल से अधिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है जिसके द्वारा प्रतिवादी-अभियुक्त को जमानत दी गई थी।

63.जबकि, वर्तमान मामले का तथ्य यह है कि दिनांक 07.09.2021 के आरोप-पत्र के अनुसार केवल 148 गवाह हैं, जो कि उपरोक्त मामले के 276 गवाहों की तुलना में बहुत कम है।

64.इसके अलावा, इस मामले में राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह भी कहा है कि सुनवाई के दौरान, स्थिति के आधार पर आरोप-पत्रित गवाहों की संख्या भी कम की जा सकती है और सुनवाई कम से कम समय में पूरी की जा सकती है।

65.इसके अलावा, अपीलकर्ता का प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के साथ सक्रिय संबंध है और वह लोहे की पाइप के आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है, जिसका उपयोग सीपीआई (माओवादी) द्वारा सुरक्षा बलों के कर्मियों की हत्या करने और उनके हथियार लूटने के लिए आईईडी बनाने और भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने के लिए विघटनकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

66.यह न्यायालय वर्तमान मामले में उपरोक्त विशिष्ट तथ्य पर विचार करते हुए, प्रतिबंधित संगठन के साथ अपीलकर्ता की सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय यहां लागू होने योग्य नहीं है।

67.यहां यह उल्लेख करना उचित है कि सह-आरोपी व्यक्तियों अर्थात् सोरतो महली @ डॉन @ रवा @ टिएरा महली (ए-7) और रामराय हसदा @ रामराय हंसदा (ए-1) द्वारा जमानत के लिए एक आवेदन (आपराधिक अपील(खंडपीठ) संख्या 399/2022) पेश किया गया है, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 18.01.2023 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है।

68.इसके अलावा अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों जैकी पारधी उर्फ जैकी और सुली कंदीर उर्फ सुलेमान कंदीर की जमानत याचिकाएं इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक अपील(खंडपीठ) संख्या 1141/2023 और 990/2023 में पारित दिनांक 10.01.2024 और 11.01.2024 के आदेश के तहत खारिज कर दी गई हैं।

69. तदनुसार, यह न्यायालय, उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर तथा अधिनियम, 1967 की धारा 43डी(5) के प्रावधान तथा **जहूर अहमद शाह वटाली (सुप्रा) और गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया असत्य हैं।

70. उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हमें विविध सीआर आवेदन संख्या 1544/2022 में AJC-XVI-सह-विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए, रांची द्वारा अपीलकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करने के लिए पारित दिनांक 16.08.2022 के आदेश में कोई अवैधता नहीं दिखती है, क्योंकि इस तरह के आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

71. परिणामस्वरूप, हमें तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

72. यदि कोई लंबित अंतरिम आवेदन है तो उसे भी खारिज कर दिया जाएगा।

73. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई कोई भी टिप्पणी अपीलकर्ता के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण केवल तत्काल अपील तक ही सीमित है।

(न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद)

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार रॉय)

Birendra/**A.F.R.**

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।